"प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021"

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर(राज0)

| प्रार्थी /वादी | ब ना म | अप्रार्थी /प्रतिवादी |
|---|---|---|
| भंवरलाल पुत्र बेगाराम जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी | | राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार कुचामनसिटी |

राजस्व प्रार्थना–पत्र = राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती 136 R.L.Act1956 शुद्वि बाबत (नई 88 RT-A/1Ia)

वाद–पत्र नम्बर 763 /2021 **GCMS No.** 2021/905

| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिलियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए |
|---|---|---|
| 25/11/2021 | वादी/प्रार्थी भंवरलाल पुत्र बेगाराम जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा तहसील कुचामनसिटी द्वारा ""प्रशासन गांवो के संग अभियान 2021 के दौरान प्रार्थना–पत्र दिनॉक 29.09.2021 के साथ नामान्तरकरण सं. 362/16.7.2021 एवं 363/29.7.2021 की नकल, बेचान दस्तावेज सं. 202103471101957 दिनॉक 12.07.2021 एवं बेचान दस्तावेज 202103471101958 दिनॉक 12.07.2021की छाया प्रति, चालू जमाबंदी नकल सम्वत 2071–2075 ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा के खाता सं. 5 खसरा नम्बर 149/16, 2, 3, 4 कुल रकबा 8.38 हैक्टर की प्रस्तुत की। जिसकी जांच तहसीलदार कुचामनसिटी से चाही गई। तहसीलदार कुचामनसिटी ने पत्रांक/भूं.अ./1881 दिनॉक 12.10.2021 के साथ प्रस्तुत की। प्रकरण ग्राम पंचायत दीपपुरा मे प्रस्तुत हुआ।<br>प्रकरण ग्राम पंचायत दीपपुरा में आयोजित कैम्प में प्रस्तुत हुआ। जिसमें पटवारी हल्का दीपपुरा, नि.भू.अ.पांचवा ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर कथन किया है कि भंवरलाल पुत्र बेगाराम हिस्सा 3/20 के स्थान पर 3/10 शुद्व किया जाना उचित है। प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रश्नगत भूमि हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह जाति राजपूत निवासी कुचामनसिटी के दर्ज खातेदारी 3/5 अन्य सह खातेदारान के साथ दर्ज चली आई तथा हमीरसिंह द्वारा दिनॉक 12.07.2021 को मुन्नी देवी एवं भंवरलाल को एक साथ 1/2–1/2 हिस्सा बेचान कर दिया गया तथा शेष हिस्सा हमीरसिंह के नही रहा। उक्त बेचान दस्तावेजो के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा नामान्तरकरण [illegible] करते समय हिस्सा दर्ज नही करने से त्रुटि [illegible] 3/20 हिस्सा सहवन से शेष खाते में छोड़ दिया गया [illegible] प्रार्थी भंवरलाल को पीड़ा होने से प्रार्थना–पत्र दस्तावेज इत्यादि प्रस्तुत किये।<br>समस्त दस्तावेजो से साफ जाहिर है कि हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह राजपूत कुचामनसिटी के आज दिन किसी प्रकार की खातेदारी भूमि शेष नही रही है, जिसकी पुष्टि बेचान दस्तावेजो से साफ जाहिर है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम गोपालपुरा पटवार मण्डल दीपपुरा के खाता सं. 5 खसरा | |

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.27 10:47:52 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

| | | | |
|---|---|---|---|
| | नम्बर 149/16, 2, 3, 4 कुल रकबा 8.38 हैक्टर में से हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा–3/20 जाति राजपूत सा. कुचामनसिटी खातेदार प्रविष्टि हटाई जाती है तथा भंवरलाल पुत्र बेगाराम हिस्सा 3/10 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा खातेदार दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कुचामनसिटी को उक्त अनुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।<br><br>उपखण्ड अधिकारी<br>कुचामन सिटी (नागौर)<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Babu Lal Jat<br>Date: 2022.01.27 10:47:52 IST<br>Reason: SelfAttested | | |

# न्यायालय उप उपखण्ड अधिकारी कुचामनसिटी जिला नागौर (राज0)

कैम्प कोर्ट का स्थान ........................................................ मु.न. 763/2021

-: आदेश:- Ucms N 2021 / 05

वादी/प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती पत्र एवं पटवारी हल्का **दीपपुरा** व भू.अ.नि. **पांचवा** की रिपोर्ट तथा तहसीलदार **कुचामनसिटी** की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम **गोपालपुरा** तहसील कुचामनसिटी जिला नागौर की जमाबन्दी सम्वत् 2071-2075 के खाता संख्या 5 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नालिखित रूप से शुद्व किया जाकर रेकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है :-

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्व प्रविष्टि) | आदेश (शुद्व प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गोपालपुरा | 5 | **भंवरलाल पुत्र बेगाराम हिस्सा-3/20 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा खातेदार** | **भंवरलाल पुत्र बेगाराम हिस्सा-3/10 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा खातेदार** |
| | | | मुन्नीदेवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा-3/10 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा खातेदार | मुन्नीदेवी पत्नी भंवरलाल हिस्सा-3/10 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा खातेदार |
| | | | राधेश्याम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी | राधेश्याम पुत्र भंवरलाल हिस्सा 1/3 जाति ब्राहम्ण सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा-1/3 (पूर्ण खाता) जयपुर थार ग्रामीण बैंक शाखा कुचामनसिटी |
| | | | शेखर कड़वा पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार | शेखर कड़वा पुत्र अर्जुनराम हिस्सा 1/5 जाति जाट सा. कुचामनसिटी खातेदार |
| | | | हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा-3/20 जाति राजपूत सा. कुचामनसिटी खातेदार | |

नोट :- हमीरसिंह पुत्र लादूसिंह हिस्सा 3/20 जाति राजपूत सा. कुचामनसिटी का नाम राजस्व रेकार्ड से हटाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

क्रमांक/2021/834-836 दिनांक :

Signature Not Verified

Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.27 10:47:52 IST
Reason: SelfAttested

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार कुचामनसिटी/नायब तहसीलदार ... को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जाकर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करे।
2. वादी श्री ........................................................ को सूचनार्थ
3. रक्षित पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
कुचामन सिटी (नागौर)

## डिक्री मुकदमा इन्तेहाई

(ओ.20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

**अज अदालत : उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर) कैम्प ग्राम पंचायत ..........**

बइजलास : **बाबुलाल जाट ( R.A.S.)**

राजस्व वाद संख्या 763/2021 **GCMS 2021/305**

**वादी**

1. भंवरलाल पुत्र बेनाराम जाति मेघवाल निवासी दीपपुरा

.......................................................................................................

बनाम

**प्रतिवादी**

1. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार कुचामनसिटी (भूमिधारी)

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–बरू प्रार्थी भंवरलाल हाजिरी .................. मिनजानिब मुदई रू–बरू श्री तहसीलदार ..... मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि .......................................................................................................

| क्र. सं. | ग्राम | खाता संख्या | वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि) | ओदश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जानी है) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | गोपालपुरा | 5 | भंवरलाल पुत्र बेनाराम हिस्सा 3/20 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा काश्तकार<br>हनुमानसिंह पुत्र ... हिस्सा 3/20 ... काश्त | भंवरलाल पुत्र बेनाराम हिस्सा 3/10 जाति मेघवाल सा. दीपपुरा काश्तकार |

निज .......................... मुबलिग ......... बाबत...................खर्चा इस मुकदमे के मय सूद शरह.... फीसदी सालाना आज की तारिख से तारीख अदायगी तक ............. का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 25 माह 11 सन् 2021 को जारी की गई।

दस्तखत उपखण्ड अधिकारी
ओहदा कुचामन सिटी (नागौर) (मुहर)

उपखण्ड अधिकारी कुचामन सिटी (नागौर)

| मुदई | रूपयें | पैसे | मुदायलय | रूपयें | पैसे |
|---|---|---|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | | | स्टाम्प ... | | |
| स्टाम्प वकालात नामा | | | स्टाम्प ... | | |
| स्टाम्प वजह सबूत | | | ... | | |
| महन्ताना वकिल | | | खर्चा गवाहन | | |
| खर्चा गवाहन | | | फिस कमिश्नर | | |
| फिस कमिश्नर | | | बबत इजराय हुक्मनामा | | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | | | मुतफरिक | | |
| मीजान | | | मीजान | | |

नोटः इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिखाया गया हो या नहीं, दर्ज करना चाहिए।

Signature Not Verified
Digitally signed by Babu Lal Jat
Date: 2022.01.27 10:47:52 IST
Reason: SelfAttested